

न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 03/2025 (GCMS : 2025/3)

नसीब सिंह पुत्र श्री मल सिंह जाति जटसिख निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर  
जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. श्रीमान रवि कुमार उपखण्ड अधिकारी, राजस्व सादुलशहर
2. अमृत पाल कौर पुत्र
3. कुलदीप सिंह पुत्र
4. गुरदीप सिंह पुत्र
5. जसपाल कौर पुत्री
6. सिकन्दर सिंह पुत्र
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, राजस्व सादुलशहर

श्री सम्पूर्ण सिंह अकवाम  
जससिख साकिन बनवाल  
तहसील सादुलशहर  
जिला श्रीगंगानगर  
(राजस्थान)



15.05.2026

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी नसीब सिंह स्वयं एवं अप्रार्थी संख्या 3 एवं 6 के अधिवक्ता श्री गुरजीत सिंह उपस्थित नहीं हुए। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय में विवाराधीन वाद संख्या 554/2024 अनवान् नसीब सिंह बनाम अमृतपाल सिंह वगै. अन्तर्गत धारा 88, 92(ए) आर.टी.ए. में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इरालिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 15.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अभित यादव)  
जिला कलक्टर  
श्रीगंगानगर